प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
लखनऊ

सेवा में,

प्रबन्धक
रेड रोज पब्लिक स्कूल,
विष्णुलोक कालोनी, कानपुर रोड,
लखनऊ।

पत्रांक–बेसिक/मान्यता/9677/2020–21 दिनांक 25.5.21

विषय– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 की धारा–18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) तथा नियमावली 2011 के अधीन विद्यालय के लिए अनंतिम मान्यता प्रमाण –पत्र।

महोदय,

आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण की प्रति एवं मान्यता समिति के निर्देश से मैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ आपके विद्यालय को शिक्षा सत्र 2020–21 से एक वर्ष की अवधि के लिए प्राथमिक स्तर (कक्षा–1 से कक्षा–5 तक) **अंग्रेजी माध्यम** की अनंतिम (अस्थायी) मान्यता प्रदान की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अध्यधीन हैः–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नही है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 5 के पश्चात मान्यता/संबधन करने के लिए कोई बाध्यता दिवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपबंध 2) तथा नियमावली 11 के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा के बालकों की संख्या के **25 प्रतिशत** तक आस पडोस के कमजोर वर्गो और सुविधा–विहीन समूह के बालकों कों प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियॉ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नही करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा और व अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगाः–
7. (1)प्रवेश दिये गये किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नही किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जाएगा।
   (2)किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नही किया जाएगा।
   (3)प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जायेगा।
   (4)प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
   (5)अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तताग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
   (6)अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूतम अर्हताएं नही है, पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
   (7)अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है
   और,
   (8)अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन किया कलापों में नियोजित नही करेगें।
8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचार्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा।

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल–	5375.56 वर्ग मीटर
कुल निर्मित क्षेत्रफल–	5139.91 वर्ग मीटर
कीडास्थल –	उपलब्ध है
कक्षाओं की संख्या–	मानक के अनुसार

प्रधानाध्यापक–कार्यालय एवं स्टाफ के लिए कक्ष– उपलब्ध है।
पुस्तकालय/वाचनालय– उपलब्ध है।
बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय– उपलब्ध है
पेयजल सुविधा–उपलब्ध है।
बाधारहित पहुँच–उपलब्ध है।
अध्यापन पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्करों/काष्ठोपकरण/विज्ञान सामग्री की उपलब्धता–उपलब्ध है।

10. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यता प्राप्त कक्षाएं नही चलाई जाऐगी।
11. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए किया जायेगा।
12. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटीज द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
13. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जायेगा।
14. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर एकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
15. आपके विद्यालय को आवंटित **मान्यता कोड संख्यांक–798** है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
16. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हों और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
17. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
18. विद्यालय/संस्था द्वारा प्रतिवर्ष विभाग द्वारा निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार यू–डायस + से सम्बन्धित सूचनायें/आंकडे भरना अनिवार्य होगा।
19. शासनादेश दिनांक 11.01.2019 एवं 29.06.2020 में उल्लिखित समस्त निर्देशों तथा समय–समय पर निर्गत विभागीय निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इस सम्बन्ध में यह भी आदेशित किया जाता है कि मान्यता पत्रावली के साथ प्रस्तुत पत्राजातों में भविष्य में कोई तथ्य गोपन/कूटरचना प्रकाश में आती है तो विद्यालय की मान्यता समाप्त करने के साथ ही विद्यालय प्रबन्धक के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी। जिसके लिए विद्यालय प्रबन्धतंत्र स्वंय उत्तरदायी होगा।

भवदीय,

(पी० एन० सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
लखनऊ

पृ०सं० एवं दिनांक–उक्तवत्

प्रतिलिपि–निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, लखनऊ।
2. मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ
3. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0, लखनऊ/प्रयागराज।
4. सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।
5. जिला समाज/अल्पसंख्यक/पिछडा वर्ग/जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, लखनऊ
6. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।
7. कार्यालय गार्ड फाइल।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
लखनऊ

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
लखनऊ

सेवा में,

प्रबन्धक
रेड रोज पब्लिक स्कूल,
विष्णुलोक कालोनी, कानपुर रोड,
लखनऊ।

पत्रांक–बेसिक / मान्यता / 9678 / 2020–21 दिनांक 25.3.21

विषय– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 की धारा–18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) तथा नियमावली 2011 के अधीन विद्यालय के लिए अनंतिम मान्यता प्रमाण –पत्र।

महोदय,

आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार / निरीक्षण की प्रति एवं मान्यता समिति के निर्देश से मैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ आपके विद्यालय को शिक्षा सत्र 2020–21 से एक वर्ष की अवधि के लिए उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा–6 से कक्षा–8 तक) **अंग्रेजी माध्यम** की अनंतिम (अस्थायी) मान्यता प्रदान की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अध्यधीन है:–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नही है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता / संबधन करने के लिए कोई बाध्यता दिवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपबंध 2) तथा नियमावली 11 के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा के बालकों की संख्या के **25 प्रतिशत** तक आस पडोस के कमजोर वर्गो और सुविधा–विहीन समूह के बालकों कों प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियॉ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नही करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा और व अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:–
7. (1)प्रवेश दिये गये किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नही किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जाएगा।
   (2)किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नही किया जाएगा।
   (3)प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जायेगा।
   (4)प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
   (5)अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तताग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
   (6)अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूतम अर्हताएं नही है, पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
   (7)अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है
   और,
   (8)अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन किया कलापों में नियोजित नही करेगें।
8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचार्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा।

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल–	5375.56 वर्ग मीटर
कुल निर्मित क्षेत्रफल–	5139.91 वर्ग मीटर
कीडास्थल –	उपलब्ध है
कक्षाओं की संख्या–	मानक के अनुसार

प्रधानाध्यापक–कार्यालय एवं स्टाफ के लिए कक्ष– उपलब्ध है।
पुस्तकालय/वाचनालय– उपलब्ध है।
बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय– उपलब्ध है
पेयजल सुविधा–उपलब्ध है।
बाधारहित पहुँच–उपलब्ध है।
अध्यापन पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्करों/काष्ठोपकरण/विज्ञान सामग्री की उपलब्धता–उपलब्ध है।

10. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यता प्राप्त कक्षाएं नही चलाई जाऐगी।
11. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए किया जायेगा।
12. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटीज द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
13. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जायेगा।
14. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर एकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
15. आपके विद्यालय को आवंटित **मान्यता कोड संख्यांक–799** है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
16. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हों और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
17. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
18. विद्यालय/संस्था द्वारा प्रतिवर्ष विभाग द्वारा निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार यू–डायस + से सम्बन्धित सूचनायें/आंकडे भरना अनिवार्य होगा।
19. शासनादेश दिनांक 11.01.2019 एवं 29.06.2020 में उल्लिखित समस्त निर्देशों तथा समय–समय पर निर्गत विभागीय निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इस सम्बन्ध में यह भी आदेशित किया जाता है कि मान्यता पत्रावली के साथ प्रस्तुत पत्राजातों में भविष्य में कोई तथ्य गोपन/कूटरचना प्रकाश में आती है तो विद्यालय की मान्यता समाप्त करने के साथ ही विद्यालय प्रबन्धक के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी। जिसके लिए विद्यालय प्रबन्धतंत्र स्वंय उत्तरदायी होगा।

भवदीय,

(पी0 एन0 सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
लखनऊ

<u>पृ0सं0 एवं दिनांक–उक्तवत्</u>

प्रतिलिपि–निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, लखनऊ।
2. मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ
3. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0, लखनऊ/प्रयागराज।
4. सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।
5. जिला समाज/अल्पसंख्यक/पिछडा वर्ग/जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, लखनऊ
6. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।
7. कार्यालय गार्ड फाइल।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
लखनऊ